न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 405 सन 2019

अनवान :–

1. गुडडी पुत्री मगनीराम पत्नी महेन्द्र जाति जाट साकिन गुडियाखेडा जिला सिरसा।
2. सोहना पुत्री मगनीराम पत्नी लीलूराम जाति जाट साकिन गुडियाखेडा सिरसा

वादीगण

बनाम

1. मगनीराम पुत्र श्योजीराम जाति जाट निवासी खोपडा तहसील नोहर।
2. रणवीर पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी खोपडा तहसील नोहर।
3. रामचन्द्र पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी खोपडा तहसील नोहर।
4. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

असल प्रतिवादीगण

7. राहुल नाबालिग पुत्र कान्ता पत्नी नोरंग जरिये संरक्षक पिता नोरंग जाति जाट निवासी गुडियाखेडा तहसील सिरसा।
8. कवीता नाबालिग पुत्री कान्ता पत्नी नोरंग जरिये संरक्षक पिता नोरंग जाति जाट निवासी गुडियाखेडा तहसील सिरसा।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही गौजा खोपडा के खाता सख्या 61/61 की कुल 44.7380हैक में से 19175/89476 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा श्योजीराम वल्द पन्नाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा श्योजीराम वल्द पन्नाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा श्योजीराम वल्द पन्नाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,7 ,8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7, 8 के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता श्योजीराम वल्द पन्नाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन मे ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए निरतारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 61/61 की कुल 44.7380हैक में से 19175/89476 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा श्योजीराम वल्द पन्नाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा श्योजीराम वल्द पन्नाराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा श्योजीराम वल्द पन्नाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 3 ,7 ,8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध मे कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनो के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 61/61 की कुल 44.7380हैक में से 19175/89476 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भू0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि श्योजीराम वल्द पन्नाराम , के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा श्योजीराम वल्द पन्नाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा श्योजीराम वल्द पन्नाराम के देहान्त होने के वाद विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति मे पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 61/61 की कुल 44.7380हैक में से 19175/89476 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में वादीगण संख्या 1 ,2 वहिव 2/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वहिव 2/6 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ,8 वहिव 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसारे इजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गुडडी पुत्री मगनीराम पत्नी महेन्द्र जाति जाट साकिन गुडियाखेडा जिला सिरसा।
2. सोहना पुत्री मगनीराम पत्नी लीलूराम जाति जाट साकिन गुडियाखेडा सिरसा

वादीगण

बनाम

1. मगनीराम पुत्र श्योजीराम जाति जाट निवासी खोपडा तहसील नोहर।
2. रणवीर पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी खोपडा तहसील नोहर।
3. रामचन्द्र पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी खोपडा तहसील नोहर।
4. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

अराल प्रतिवादीगण

7. राहुल नाबालिग पुत्र कान्ता पत्नी नोरंग जरिये संरक्षक पिता नोरंग जाति जाट निवासी गुडियाखेडा तहसील सिरसा।
8. कवीता नाबालिग पुत्री कान्ता पत्नी नोरंग जरिये संरक्षक पिता नोरंग जाति जाट निवासी गुडियाखेडा तहसील सिरसा।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 405 सन 2019 निर्णय दिनांक– 21/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 61/61 की कुल 44 7380हैव में से 19175/89476 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब 2/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 2/6 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner